न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 85/2022
निर्णय दिनांकः 22.12.2022
ऑनलाईन नंबर 2022/193

श्रवण कुमार पुत्र राधाकिशन जाति सोनी सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादी–

बनाम

1. कुमारी सुषमा पुत्री महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राधा देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. प्रमिला पत्नी लीलाधर जाति ओसवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. सावित्री पत्नी श्रीभगवान जाति राठी महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. गीता देवी पत्नी रूपचन्द जाति सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़।
6. सुशीला देवी पत्नी पवन कुमार जाति सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।
8. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीडूंगरगढ।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थितिः–

1. के.के. पुरोहित अभिभाषक वादी
2. एकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 ता 6
3. पैरोकाराज स्टेट की ओर से।
4. श्री राजूराम जाखड अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 8

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 756 तादादी 2.3197 हैक्टेयर वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें वादी का 743473/1159850 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कुल 416377/1159850 हिस्सा है। वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 750 तादादी 0.4400 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 751 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. चाह कुल खसरा 2 कुल तादादी 0.4500 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है जिसमें वादी का 221477/225000 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 का 3523/225000 हिस्सा है। खसरा नंबर 760 तादादी 0.7700 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ में वादी का 2559/7700 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का कुल 5141/7700 हिस्सा अवस्थित है व खसरा नंबर 757 तादादी 1.4140 हैक्टेयर में वादी का 530/707 व प्रतिवादी संख्या 2 का 177/707 हिस्सा अवस्थित है। यह है कि वादगत खेतों में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 अपने–अपने हिस्सानुसार मौका पर कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग है। यह है कि वादगत खेत संयुक्त होने से वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने खेत में सुधार व विकास करवाना चाहता है। संयुक्त होने से बार–बार प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से सहमति [illegible] है। कई बार विकास कार्य में संयुक्त होने से कार्य करवाने में [illegible] है। यह है कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को सहमति से खाता वि[illegible] हेतु कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 पहले तो टालमटोल करते रहे, अन्ततः दिनांक 2[illegible] 2022 को खाता विभाजन से स्पष्ट इन्कार कर [illegible] है यही वाद हेतुक है। कब्जे [illegible] वादगत खेत का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन [illegible] कानूनी अधिकारी है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 भूमिधारी स्टेट है लेकिन स्टेट को किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए आवश्यक पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

हैसियत से प्रतिवादी संख्या 7 को पक्षकार बनाया गया है। कानूनी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट के विरुद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 (2) सी.पी.सी. की नोटिस की छूट न्यायालय श्रीमान्जी से प्राप्त कर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि वादी के हिस्से की कृषि भूमि खेत खसरा नंबर 750, 751, 760 व 757 वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ पर प्रतिवादी संख्या 8 से के.सी.सी बनवा रखी है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 8 के पक्ष में वादी के हिस्से की कृषि भूमि रहिन दर्ज है। इसीलिए प्रतिवादी संख्या 8 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 8 के ऋण की समस्त जिम्मेदारी वादी स्वयं की है। यह है कि वादगत भूमि वाके रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इसलिए श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान्जी को हासिल है। दावा पूर्ण कोर्टफीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञाप्त फरमाई जावें।

(क) कि इस आशय की डिक्री वादी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 फरमाई जावे कि वादगत खेत खसरा नंबर 756 तादादी 2.3197 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़, खसरा नंबर 750 तादादी 0.4400 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 751 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. चाह कुल खसरा 2 कुल तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 तादादी 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757 तादादी 1.4140 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित वादी के हिस्सा की कृषि भूमि का खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें व ट्रेस नक्शा में अलग से तरमीम कायम की जावें।

(ख) कि अन्य अनुतोष हितकर वादी हो प्रदान करें।

(ग) कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से दिलवाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी अखबार साया किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। बहस सुनी गई। वादी द्वारा बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीडूंगरगढ का रहननामा निरस्त प्रमाण पत्र व जमाबन्दीया प्रस्तुत की। बैंक का उक्त वाद में किसी प्रकार से कोई हित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 756 तादादी 2.3197 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़, खसरा नंबर 750 तादादी 0.4400 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 751 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. चाह कुल खसरा 2 कुल तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 तादादी 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757 तादादी 1.4140 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादगत खेतों में वादी का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए एवं आवागमन के रास्ते का अंकन करतें हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक..............................को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:02 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्राथमिक डिक्री
मुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

उनवान

श्रवण कुमार पुत्र राधाकिशन जाति सोनी सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. कुमारी सुषमा पुत्री महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. राधा देवी पत्नी महावीर प्रसाद जाति स्वामी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. प्रमिला पत्नी लीलाधर जाति ओसवाल निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. सावित्री पत्नी श्रीभगवान जाति राठी महेश्वरी निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. गीता देवी पत्नी रूपचन्द जाति सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़।
6. सुशीला देवी पत्नी पवन कुमार जाति सुनार निवासी श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।
8. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा श्रीडूंगरगढ।

दावा बाबत विभाजन
मुकदमा नम्बर 85/2022
निर्णय दिनांक: 22.12.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से के.के. पुरोहित एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही मिनजानिब मुद्दायलांह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 756 तादादी 2.3197 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़, खसरा नंबर 750 तादादी 0.4400 हैक्टेयर बारानी, खसरा नंबर 751 तादादी 0.0100 हैक्टेयर गै.मु. चाह कुल खसरा 2 कुल तादादी 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 760 तादादी 0.7700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 757 तादादी 1.4140 हैक्टेयर रोही श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में वादगत खेतों में वादी का मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर खाता विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ विभाजन के नियम 18 से 21 को ध्यान में रखतें हुए एवं आवागमन के रास्ते का अंकन करतें हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 22 माह 12 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4.साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.12.28 14:56:03 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)